



UPKU010007402026

न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 396/2026

शहबाज खान उर्फ समीर बनाम उ०प्र० सरकार

08-04-2026:-

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

मैने प्रार्थी/अभियुक्त शहबाज खान उर्फ समीर के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया तथा जमानत प्रार्थना पत्र व आदेश पत्र पर "Not Pressed" का पृष्ठांकन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को बल न दिये जाने के आधार पर निस्तारित करने की याचना की गयी।

चूँकि प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया है, अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।